

टीकाकरण अभियान/महत्वपूर्ण  
संख्या-33/2016/756(2)/सेंटीस-2-2016-30(95)/2015

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-06 अप्रैल, 2016

विषय- खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण (एफ0एम0डी0सी0पी0) कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-756/सेंटीस-2-2016-30(95)/2015  
दिनांक 17-03-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त कार्यक्रम के संचालन को गति देने के लिए कठिपय मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है तथा उनके द्वारा अपने मण्डल/जनपद के पशुधन विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठकें भी आहूत नहीं की जा रही हैं, जिससे खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण (एफ0एम0डी0सी0पी0) कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस महत्वपूर्ण व्यापक अभियान में आपका सक्रिय सहयोग, कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व आवश्यक है। कृपया अपने मण्डल/जनपद के अपर निदेशक/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के साथ प्रस्तावित अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर इसे गति प्रदान करने में अपना विशिष्ट सहयोग प्रदान करते हुये कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करें ताकि भारत सरकार के सहयोग से संचालित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का मण्डल/जनपद स्तर पर सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)  
कृषि उत्पादन आयुक्त।

**संख्या-33/2016/756(3)/सेंटीस-2-2016 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।  
2- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2 (संबंधित मण्डल)/समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, 30प्र0।  
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)  
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।